

शुद्धिपत्र -2

आरएफपी संदर्भ सं.: -

रा.आ.बैंक/एमआरसीपीडी/आरएफपी-08641/2022 दिनांकित 25 जनवरी, 2022

नई पहलों की अनुशांसा करने व पहल के शुरू से अंत तक कार्यान्वयन के लिए एक ढांचा तैयार करने हेतु सलाहकार की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

दिनांक 03 फरवरी, 2022 को आयोजित पूर्व बोली बैठक के आधार पर, प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज़ में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं।

| क्र. सं. | आरएफपी खंड | आरएफपी के अनुसार | आशोधन |
|----------|---|--|---|
| 1 | कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी), पृष्ठ सं. : 15 | सफल बोलीदाता को अनुबंध-XVII में निर्धारित प्रारूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में अनुबंध मूल्य की कुल लागत के 10% मूल्य की कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रदान करने की आवश्यकता होगी। | सफल बोलीदाता को अनुबंध-XVII में निर्धारित प्रारूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में अनुबंध मूल्य की कुल लागत का 3% मूल्य की कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रदान करने की आवश्यकता होगी। |
| 2 | 11.20: समनुदेशन | बोलीदाता/एजेंसी रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना अनुबंध के तहत कार्य निष्पादन करने हेतु अपने दायित्वों को पूर्ण या आंशिक रूप से समानुदेशित/उप-अनुबंध नहीं करेगी। | बोलीदाता/एजेंसी/परामर्शदाता अनुबंध के तहत कार्य निष्पादन करने हेतु अपने दायित्वों को पूर्ण या आंशिक रूप से समानुदेशित/उप-अनुबंध नहीं करेगा। |

महाप्रबंधक

एमआरसीपीडी एवं सीसीसी